(Authoritative English text of this Department Notification No. JS-B(A)3-2/2020 dated ....as required under clause (3) of article 348 of the Constitution of India)

Government of Himachal Pradesh
Irrigation & Public Health Department

No. JS-B(A)3-2/2020 Dated Shimla-2, the 13/8/2020

NOTIFICATION

In exercise of the powers conferred by section 11 of the Himachal Pradesh Water Supply Act, 1968 (Act No. 8 of 1969), the Governor of Himachal Pradesh, is pleased to make the following rules further to amend the Himachal Pradesh Water Supply Rules, 1989, published in the Rajpatra, Himachal Pradesh dated 17th February, 1990 vide this Department Notification No. IPH(3)14/84 dated 30-12-1989, namely:-

Short title and commencement	1	(1)	These rules may be called the Himachal Pradesh Water Supply (Amendment) Rules, 2020
		(2)	These rules shall come into force from the date of the publication in the Rajpatra, Himachal Pradesh.
Amendment of Rule-4	2		In rule 4 of the Himachal Pradesh Water Supply Rules, 1989, for sub-rule (15), the following shall be substituted, namely:- (15) A person who intends to get a private connection shall submit an application in FORM 'A'. The connection may be sanctioned by the authorised officer not below the rank of Assistant Engineer on the availability of water in the system subject to the conditions that other public hydrants, private connections are not adversely affected. The sanction shall be conveyed in FORM 'B'. Provided that in case of new connection where an applicant is unable to produce "No Objection Certificate" as required under the provisions of TCP Act, 1977 for seeking water supply connection from the Statutory Aurhrity(ies) like the Panchayat, Municipality or the Town and Country Planning, the Department shall not refuse water supply connection to an applicant seeking water connection, only for want of such "No Objection Certificate" and shall release water connection to such applicant on the submission of the undertaking/declaration to the extent that the Department may disconnect the water connection under reference, in the event of legally binding orders issued by the Statutory Authority(ies) for

			disconnection of water supply owing to any default/non-compliance of statutory provisions. However, such connections shall be regularized by the Department only on the submission of the sanction letter from the concerned statutory authority(ies) of the area. This shall be without prejudice to any other rights of the Department including that of getting its payment due as on the date of disconnection."

By order

Amitabh Avasthi
Secretary (Jal Shakti Avasthi) to the
Govt. of Himachal Pradesh.

No. JS-B(A)3-2/2020 Dated Shimla-2, the 13/8/2020

Copy forwarded for information and necessary action to:-

1. The Chief Secretaries to the Govt. of Himachal Pradesh.
2. All Addl. Chief Secretaries/Pr. Secretaries/Secretaries/Special Secretaries/Joint Secretaries/Deputy Secretaries/Under Secretaries to the Govt. of Himachal Pradesh.
3. The Secretary, HP Vidhan Sabha, Shimla-171004.
4. All the Heads of the Department in HP.
5. All the Deputy Commissioners, in HP.
6. The Private Secretaries to the Hon'ble CM/Ministers/Chief Whip, HP.
7. The Engineer-in-Chief, Jal Shakti Vibhag, Jal Shakti Bhawan, Tutikandi, Shimla-5 with the request to upload the above on official website of Jal Shakti Vibhag.
8. The Chief Engineer, Shimla/Mandi/Dharamshala and Hamirpur Zones, HP.
9. The Controller, Printing & Stationery, Shimla-5 for publication in Rajpatra.
10. Guard file.

(D.D. Sharma)
Special Secretary (Jal Shakti) to the
Govt. of Himachal Pradesh.

हिमाचल प्रदेश सरकार
जल शक्ति विभाग

संख्याः जेएस–बी(ए)3–2/2020 तारीख शिमला–171002 13/8/2020

अधिसूचना

हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल हिमाचल प्रदेश जल आपूर्ति अधिनियम, 1968 (1969 का अधिनियम संख्यांक 8) की धारा 11 द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए, इस विभाग की अधिसूचना संख्याः आई0पी0एच0(3)14/84, तारीख 30–12–1989 द्वारा राजपत्र (असाधारण), हिमाचल प्रदेश में तारीख 17 फरवरी, 1990 को प्रकाशित हिमाचल प्रदेश जलापूर्ति नियम, 1989 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थातः–

संक्षिप्त नाम और प्रारंभ।	1	(1)	इन नियमों का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश जलापूर्ति (संशोधन) नियम, 2020 है।
		(2)	ये नियम राजपत्र (ई–गजट) हिमाचल प्रदेश में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत होगें।
नियम 4 का संशोधन।	2		हिमाचल प्रदेश जलापूर्ति नियम, 1989 के नियम 4 में, उप नियम (15) के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थातः– निजी कनैक्शन लगाने की वॉछा रखने वाला व्यक्ति प्ररूप "क" पर आवेदन करेगा। कनैक्शन प्राधिकृत अधिकारी, जो सहायक अभियन्ता की पंक्ति से नीचे का न हो, द्वारा प्रणाली में जल की उपलब्धता के दृष्टिगत इस शर्त के अध्यधीन मंजूर किया जा सकेगा कि अन्य सार्वजनिक नलों और निजी कनैक्शनों पर प्रतिकूल प्रभाव न पड़े। मंजूरी प्ररूप "ख" में संसूचित की जाएगी; परन्तु नए कनैक्शन की दशा में, जहां कोई आवेदक कानूनी प्राधिकरण (प्राधिकरणों) जैसे पंचायत, नगर पालिका या नगर एवं ग्राम योजना से जल आपूर्ति कनैक्शन लेने के लिए नगर और ग्राम योजना अधिनियम, 1977 के उपबधों के अधीन यथा अपेक्षित "निराक्षेप प्रमाण–पत्र" प्रस्तुत करने में असमर्थ रहता है; वहां विभाग जल कनैक्शन चाहने वाले किसी आवेदक को जल आपूर्ति कनैक्शन प्रदान करने से केवल ऐसे "निराक्षेप प्रमाण–पत्र" के अभाव में इनकार नहीं करेगा और ऐसे आवेदक को इस विस्तार तक वचनबंध/घोषणा पत्र प्रस्तुत करने पर कि विभाग संदर्भाधीन जल कनैक्शन को कानूनी उपबंधों के किसी व्यतिकम/अननुपालन के कारण कानूनी प्राधिकरण (प्राधिकरणों) द्वारा जल आपूर्ति

			के वियोजन (डिस–कनैक्शन) के लिए जारी विधिकत: आबद्धकर आदेशों की दशा में जल कनैक्शन को वियोजित (डिस–कनैक्ट) कर सकेगा। तथापि, ऐसे कनैक्शन विभाग द्वारा केवल क्षेत्र के संबंधित कानूनी प्राधिकरण (प्राधिकरणों) से मंजूरी पत्र को प्रस्तुत करने पर नियमित किये जाएंगे। इससे विभाग के किन्हीं अन्य अधिकारों पर, वियोजन(डिस–कनैक्शन) की तारीख को इसके लिए देय संदाय को प्राप्त करने सहित, प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।''

आदेश द्वारा

अमिताभ अवस्थी
सचिव (सिंचाई एवं जन–स्वास्थ्य)
हिमाचल प्रदेश सरकार।

संख्या:आई0पी0एच0–बी(ए)3-9/2020 दिनॉक शिमला–2 13/8/2020

प्रतिलिपि निम्नलिखित को प्रेषित है:–

1. मुख्य सचिव, हिमाचल प्रदेश सरकार, शिमला–2।
2. समस्त अति0 मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव हि0प्र0 सरकार, शिमला–2।
3. सचिव, हि0प्र0 विधान सभा, शिमला–4
4. समस्त विभागाध्यक्ष, हि0प्र0।
5. समस्त जिलाधीश, हि0प्र0।
6. निजी सचिव मुख्य मंत्री/समस्त मंत्री, हि0प्र0।
7. नियंत्रक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री विभाग, हि0प्र0 शिमला–9 को ई–राजपत्र में प्रकाशित करने हेतु।
8. निदेशक, सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग, शिमला–2 को प्रेषित है उनसे अनुरोध है कि वे इस अधिसूचना को दो समाचार पत्रों में शीघ्र प्रकाशित करवायें जिसमें एक क्षेत्रीय भाषा में हो तथा प्रकाशन की एक प्रति प्रमुख अभियन्ता, सिंचाई एवं जन–स्वास्थ्य विभाग शिमला को उपलब्ध करवायें।
9. प्रमुख अभियन्ता सिंचाई एंव जन–स्वास्थ्य विभाग, जल शक्ति भवन, टुटी कंडी, शिमला–5 को सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।
10. समस्त मुख्य अभियन्ता, सिंचाई एंव जन–स्वास्थ्य विभाग, हिमाचल प्रदेश।
11. समस्त अधीक्षण अभियन्ता, सिंचाई एंव जन–स्वास्थ्य वृत, हिमाचल प्रदेश।
12. समस्त अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई एंव जन–स्वास्थ्य मण्डल, हिमाचल प्रदेश।
13. गार्ड फाईल।

(डी0डी0 शर्मा)
विशेष सचिव (सिंचाई एवं जन–स्वास्थ्य)
हिमाचल प्रदेश सरकार।